मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. / 16686 / 22 / FA / महाजन / 17 भोपाल, दिनांक 7/7/2017

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण,
परियोजना कियान्वयन इकाई ....
जिला .... (म.प्र.)

विषय :– **अंतिम समयावृद्धि एवं Liquidated Damages निर्धारण हेतु प्रकरण भेजने के संबंध में।**

संदर्भः–
1. प्राधिकरण मुख्यालय का परिपत्र कमांक 11539/22/वि–12/FA/ सरकुलर/ 2017 भोपाल दिनांक 01.05.2017।
2. प्राधिकरण मुख्यालय का परिपत्र कमांक 13412/22/वि–12/FA/ सरकुलर/ 2017 भोपाल दिनांक 26.05.2017।

––00––

विषयांर्गत प्राधिकरण मुख्यालय के संदर्भित परिपत्र (1) दिनांक 01.05.2017 का अवलोकन करे, जिसके द्वारा अंतिम समयावृद्धि एवं Liquidated Damages निर्धारण हेतु प्रकरण भेजने के संबंध में एक प्रारूप (Proforma-1) जिसमें 6 कॉलम है तथा संदर्भित परिपत्र (2) दिनांक 26.05.2017 द्वारा निर्देशित किया गया था कि पूर्व में भेजे गये Proforma-1 में ही एक अतिरिक्त कॉलम स.क. 07 के रूप में खोलकर उसमें मार्ग पर बी.टी. कार्य पूर्ण होने की तिथि एम.पी.आर. के अनुसार अंकित की जाकर पूर्णरूपेण प्रकरण मुख्यालय को भेजे। परिपत्र क्रमांक 1 के संलग्न प्रोफार्मा के कालम क्र 2 में ठेकेदार को विलम्ब के कारण लिखकर देना है। विलम्ब के संभावित कारण इस कार्यालय के प्रोफार्मा में लिखकर ठेकेदार/ पीआईयू में मार्गदर्शन हेतु भेजे गये थे, लेकिन मुख्यालय में जो प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं कि उनके अवलोकन से पाया गया है कि ठेकेदार से कॉलम नं. 2 में विलम्ब के कारण न भरवाकर मुख्यालय द्वारा जो संभावित कारणों को दर्शाया गया था उसे पीआईयू में यथावत टाईप कराकर ठेकेदार के हस्ताक्षर लेकर कन्सलटेन्ट व पीआईयू के कमेन्टस भी टाईप करा दिये गये हैं जबकि इस कार्यालय के परिपत्र में स्पष्ट निर्देश थे कि संलग्न प्रारूप में ठेकेदार से आवेदन प्राप्त किया जाए। स्पष्टतः ठेकेदार को प्रारूप उपलब्ध नही कराया गया तथा सारी प्रक्रिया पीआईयू में पूर्ण की गई जो निर्देशो के विपरीत है।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अंतिम समयवृद्धि एवं Liquidated Damages निर्धारण हेतु मुख्यालय द्वारा भेजा गयाProforma-1 ठेकेदारों को उपलब्ध करावें तथा उसके कालम नं. 2 में विलंब के वास्तविक कारण ठेकेदार को स्वयं अंकित करने हेतु निर्देश दें तथा यह स्पष्ट कर दे कि पहले से जो कारण टाईप है वह केवल संभावित कारण है, उन्हें यथावत टाइप कराने की आवश्यकता नहीं है ठेकेदार को मार्गवार विलंब के वास्तविक कारणों को स्वयं उल्लेख करना है तथा सपोर्ट में यदि कोई अभिलेख हो तो वह भी लगाना है, ठेकेदार से भरा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित कंसलटेंट एवं पीआईयू ठेकेदार द्वारा दिये गये विलंब के प्रत्येक कारणों पर अपना अभिमत तथा अनुशंसा कॉलम नं 5 एवं 6 में अंकित कर अंतिम समयवृद्धि एवं Liquidated Damages निर्धारण हेतु प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित करें। मार्गवार बीटी पूर्ण होने का दिनांक भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

7/7/17
(एम.के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकासप्राधिकरण
भोपाल